क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	1/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस T.J हेतु दिनांक 30/5/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
	30/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस हेतु अन्तिम मौका दिया जाकर पत्रावली दि० 7/6/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
	7/6/24	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित बहस T.J सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 21/6/2024 को पेश होवे। (उपखण्ड) अधिकारी जयपुर (द्वितीय)
	21/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली, राजस्व रिकार्ड, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा व जवाब प्रा०पत्र का आद्योपान्त अवलोकन करने व वकील उभय पक्षों की बहस का मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि प्रार्थी ने मूल खसरा 374 में से 374/1 कायम कर 0.2008हे० भूमि क्रय की है। उक्त भूमि वादग्रस्त है। विवादित आराजी से सम्बन्धित माननीय राज० उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर में सिविल रिट संख्या 8251/2022 हनुमान व अन्य बनाम रमेश चन्द व अन्य विचाराधीन है जिसमें आनन्द बिहारी, श्रीमती आशादेवी व सुनील क्रमशः 3, 5, 7 रेस्पोडेन्ट के रूप में प्रतिस्थापित है। उक्त रिट में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा दिनांक 7/7/2022 को विवादित आराजी को अन्तरित नहीं किये जाने बाबत् स्थगन आदेश पारित किया हुआ है जो आदिनांक तक प्रभावी है। उक्त स्थगन प्रभावी होने को रेस्पोडेन्ट सं० 3, 5 व 7 को पूर्ण जानकारी होने के बावजूद स्थगन आदेश की अवहेलना करते हुए वादग्रस्त भूमि में तोड़फोड़ की गई जिसके विरुद्ध अप्रार्थी बाबूलाल द्वारा पुलिस थाना सांगानेर में FIR No-436/2022 दिनांक 16/7/2022 को अन्तर्गत धारा 447, 427 IPC के तहत दर्ज में चालान पेश हुआ जिसकी कार्यवाही उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर, जयपुर

महेश कुमार बनाम अशोक कुमार व अन्य

मुकदमा संख्या /वर्ष प्रा०पत्र : 167/2023 /20

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	21/6/24	न्यायालय ए.सी.एम.एम. क्रम 13 सांगानेर में विचाराधीन है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि पर राजस्व अधिकारी जयपुर द्वारा दिनांक 15/5/23 को उभय पक्षों को मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबन्द किया हुआ है उक्त स्थगन आदेश के बावजूद तहसील सांगानेर में अपने-अपने नामान्तरण [illegible] विभाजन किया गया जबकि कोई भी व्यक्ति जाकर विभाजन किया गया जबकि कोई भी व्यक्ति [illegible] 47 वर्गमीटर, 68 वर्गमीटर व 230 वर्गमीटर [illegible] में कृषि कार्य नहीं कर सकता है [illegible] संख्या 1 ता० 3 की ओर प्रस्तुत जवाब [illegible] की ओर से कब्जा [illegible] इससे यह भी प्रतीत होता है कि प्रार्थी का [illegible] भूमि पर भौतिक कब्जा नहीं है [illegible] कृषि कार्य किया है अतः प्रार्थी [illegible] प्रथम दृष्टया केस व, सुविधा का सन्तुलन [illegible] पक्ष में नहीं पाये जाने के कारण [illegible] जाता है। पत्रावली नम्बर से [illegible] तकमील दाखिल दफ्तर हो। [illegible] उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:19:55 IST
Reason: SelfAttested